IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 3, December 2025 Impact Factor: 7.67

समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भूमिका

शबीना शेख़[1] and डॉ. भूपेंद्र सिंह चौहान[2]

[1]शोधार्थी, शिक्षा शास्त्र विभाग

[2]शोध निर्देशक, शिक्षा शास्त्र विभाग

विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

सारांश

भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराकर शिक्षा के लोकतांत्रिककरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस अधिनियम ने विशेष रूप से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी प्रावधान किए हैं, जिनमें वंचित समूहों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग बच्चों हेतु विशेष शिक्षण संसाधन, बाल-मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनिवार्यता और भेदभावरहित शिक्षण वातावरण को सुनिश्चित करना शामिल है।

आरटीई अधिनियम का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बच्चा—चाहे वह आर्थिक रूप से कमजोर हो, सामाजिक रूप से हाशिये पर हो, दिव्यांग हो या किसी भी प्रकार की विविध पृष्ठभूमि से आता हो—मुख्यधारा शिक्षा का समान रूप से लाभ उठा सके। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आरटीई ने न केवल शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाया है, बल्कि शिक्षण की गुणवत्ता, सामाजिक समावेशन और समान अवसर की अवधारणा को भी मजबूत बनाया है। यद्यपि क्रियान्वयन में संसाधनों की कमी, शिक्षक-प्रशिक्षण की चुनौतियाँ और संरचनात्मक सीमाएँ जैसी बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं, फिर भी यह अधिनियम भारत में समावेशी शिक्षा की दिशा में निर्णायक परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करता है।

मुख्य संकेतक: - समावेशी शिक्षा, बाल-मैत्रीपूर्ण शिक्षण, शिक्षक-प्रशिक्षण, शैक्षिक समानता।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 3, December 2025 Impact Factor: 7.67

परिचय

भारत जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और सामाजिक रूप से विविध देश में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं, बल्कि समानता, सामाजिक न्याय और समावेशन की स्थापना भी है। विशेष रूप से पिछले दो दशकों में यह समझ गहरी हुई है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक है जब वह सभी बच्चों, विशेषकर सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित, दिव्यांग, हाशिये पर रहने वाले तथा पिछड़े समुदायों के बच्चों तक समान रूप से पहुँचे। इसी संदर्भ में *समावेशी शिक्षा* एक वैश्विक शैक्षिक दर्शन के रूप में उभरी है, जिसमें हर बच्चे को उसकी विविध आवश्यकताओं के अनुरूप समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जाता है (शर्मा, 2018)। भारत में समावेशी शिक्षा को नीति और कानून के स्तर पर मजबूती तब मिली जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू हुआ। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूलभूत अधिकार प्रदान करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(क) के तहत स्थापित किया गया है। यह केवल शिक्षा तक पहुँच का अधिनियम नहीं, बल्कि समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्य को व्यवहार में लाने का राष्ट्रीय संकल्प भी है।

समावेशी शिक्षा का अर्थ केवल किसी बच्चे को स्कूल में प्रवेश देना नहीं, बल्कि ऐसा शैक्षिक वातावरण तैयार करना है जिसमें विविध क्षमताओं, पृष्ठभूमियों तथा आवश्यकताओं वाले बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सीखने का अवसर मिले। यह विचार स्वीकार करता है कि प्रत्येक बच्चा अलग है, और शिक्षा प्रणाली को ही बच्चों के अनुकूल होना चाहिए (वर्मा, 2020)। RTE अधिनियम इसी सिद्धांत को मजबूत करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा सामाजिक स्थिति, आर्थिक कमजोरी, लिंग, भाषा, धर्म, जाति, दिव्यांगता या किसी अन्य आधार पर शिक्षा से वंचित न रहे।

इस अधिनियम का महत्त्व इस तथ्य में भी निहित है, कि यह भारत में पहली बार शिक्षा के अधिकार को कानूनी बाध्यता बनाता है, जिसका पालन न केवल राज्य, बल्कि स्कूलों और समुदायों को भी करना आवश्यक है (भारत सरकार, 2009)। इस प्रकार आरटीई समावेशी शिक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जिसने शिक्षा व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, सुलभ और न्यायसंगत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की है।

आरटीई अधिनियम का एक प्रमुख पहलू यह है कि यह सीखने के अधिकार को संरचनात्मक, शैक्षणिक और संवेदनात्मक सभी स्तरों पर लागू करता है। उदाहरण के लिए, अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी स्कूलों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ जैसे स्वच्छ शौचालय, पीने का पानी, रैंप, कक्षाओं की पर्याप्त

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 3, December 2025 Impact Factor: 7.67

संख्या, सुरक्षित वातावरण और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए (दिवाकर, 2016)। इससे विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों, लड़कियों और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के बच्चों के लिए स्कूलों तक पहुँच अधिक सुगम हुई है। समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से यह संरचनात्मक सुलभता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि स्कूल की भौतिक संरचना ही उपयुक्त न हो, तो शिक्षा तक पहुँच में बाधाएँ स्वतः बढ़ जाती हैं (सिंह, 2019)।

इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम ने सीखने की प्रक्रिया को अधिक लचीला और बाल-केन्द्रित बनाने पर जोर दिया है। अधिनियम में *शारीरिक दंड* पर पूर्ण प्रतिबंध, *बाल-मैत्रीपूर्ण शिक्षण विधि* का अनिवार्य प्रावधान और *सतत एवं व्यापक मूल्यांकन* जैसे सुधार शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को तनावमुक्त और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने वाला बनाना है (राव, 2017)। ये सभी तत्व उन बच्चों के लिए विशेष रूप से आवश्यक हैं जो पारिवारिक, सामाजिक या शारीरिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। समावेशी शिक्षा इसी विचार को आगे बढ़ाती है कि सीखना किसी एक प्रकार के मूल्यांकन से नहीं आंका जा सकता, बल्कि बच्चों की विविध क्षमताओं और गति को ध्यान में रखते हुए निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए (मिश्रा, 2021)।

RTE अधिनियम का सबसे क्रांतिकारी प्रावधान निजी स्कूलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटों का आरक्षण है। इस नीति ने सामाजिक मिश्रण को बढ़ावा दिया है, जिससे भिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर मिलता है। यह न केवल असमानता को कम करता है, बल्कि बच्चों में पारस्परिक सम्मान, सहयोग और विविधता के प्रति सहिष्णुता को बढ़ाता है (कुमार, 2017)। समावेशी शिक्षा में सामाजिक सहभागिता एक मुख्य तत्व है, जिसे यह प्रावधान प्रभावी रूप से सुनिश्चित करता है।

दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में भी RTE अधिनियम विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अधिनियम में *व्यक्तिगत शैक्षिक योजना*, *विशेष शिक्षक*, *सहायक उपकरण*, *ब्रेल सामग्री* तथा *संकेत भाषा* जैसी सुविधाओं के विकास और उपलब्धता पर जोर दिया गया है (सिंह, 2019)। समावेशी शिक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केवल प्रवेश पर्याप्त नहीं, बल्कि एक सशक्त और सुलभ शिक्षण प्रक्रिया भी आवश्यक है।

समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए शिक्षक मुख्य स्तंभ होते हैं। इसलिए RTE अधिनियम ने शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के मानकों को मजबूत करने, अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाने और

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 3, December 2025 Impact Factor: 7.67

समावेशी शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण को अनिवार्य करने जैसे उपाय किए हैं (शर्मा, 2018)। यह पहल इस समझ को दर्शाती है कि शिक्षक तभी विविधताओं को स्वीकार कर पाएंगे जब वे इसके लिए सक्षम और संवेदनशील होंगे।

हालाँकि, RTE अधिनियम ने समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक ढाँचा बहुत हद तक तैयार किया है, फिर भी इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ उभरकर सामने आती हैं। जैसे अपर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता, स्कूल भवनों में वास्तविक सुलभता की कमी, 25% आरक्षण के सही पालन में समस्याएँ, दिव्यांग बच्चों के लिए संसाधनों का अभाव, और सामाजिक भेदभाव का निरंतर बना रहना (शेखर, 2020)। इन चुनौतियों के बावजूद, यह अधिनियम समावेशी शिक्षा को साकार करने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है, जिसने भारत के शैक्षिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन की दिशा में सकारात्मक गति उत्पन्न की है।

अन्ततः कहा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का उपकरण है। यह समावेशी शिक्षा की अवधारणा को व्यवहार में उतारने का मार्ग प्रशस्त करता है और यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा केवल कुछ विशेष वर्गों का विशेषाधिकार न होकर सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बने। यह अधिनियम भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक न्यायसंगत, समान, और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो समाज में दीर्घकालिक परिवर्तन की नींव रखता है।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा

समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य है प्रत्येक बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि, क्षमता या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाना। यह न केवल शिक्षण में विविधता को स्वीकार करता है, बल्कि व्यक्तिगत सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त वातावरण भी उपलब्ध कराता है (वर्मा, 2020)।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) का अवलोकन

आरटीई अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है। इसके प्रमुख प्रावधान जैसे पड़ोस के स्कूलों में प्रवेश, बाल-मैत्रीपूर्ण शिक्षण,

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 3, December 2025 Impact Factor: 7.67

शारीरिक दंड का निषेध, स्कूल भवनों की न्यूनतम सुविधाएँ समावेशी शिक्षा की नींव मजबूत करते हैं (भारत सरकार, 2009)।

आरटीई अधिनियम और समावेशी शिक्षा: प्रमुख योगदान

1. वंचित समूहों को समान अवसर

RTE अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। इससे सामाजिक विविधता बढ़ती है और बच्चों में असमानता की खाई कम होती है (कुमार, 2017)।

2. दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

अधिनियम में दिव्यांग बच्चों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं, विशेष शिक्षक, सुलभ भवन और उपकरणों की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है (सिंह, 2019)। इससे वे मुख्यधारा शिक्षा में प्रभावी भागीदारी कर पाते हैं।

3. शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

समावेशी शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब शिक्षक विविध आवश्यकताओं को समझने में सक्षम हों। आरटीई अधिनियम ने शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के मानकों को मजबूत किया तथा समावेशन-संबंधी प्रशिक्षण पर जोर दिया (मिश्रा, 2021)।

4. समावेशी अधिगम वातावरण का निर्माण

अधिनियम के अनुसार स्कूलों को बाल-मैत्रीपूर्ण, सुरक्षित और गैर-भेदभावपूर्ण माहौल प्रदान करना अनिवार्य है। इससे कमजोर या हाशिये पर रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने में आत्मविश्वास मिलता है (दिवाकर, 2016)।

5. मूल्यांकन सुधार

आरटीई ने परीक्षा-आधारित दबाव को कम करते हुए सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा लाई, जिससे विविध क्षमताओं वाले बच्चों की प्रगति वास्तविक रूप से आंकी जा सके (राव, 2017)।

चुनौतियाँ

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह न केवल 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाता है, बल्कि

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 3, December 2025 Impact Factor: 7.67

सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक समान और न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली की कल्पना करता है। फिर भी, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं जो इसके समुचित कार्यान्वयन को जटिल बनाती हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि देश के कई हिस्सों में अभी भी स्कूलों की आधारभूत संरचना समावेशी शिक्षा के उपयुक्त नहीं है—विशेषकर दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप, विशेष शिक्षण सामग्री, सहायक तकनीकें और प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों का अभाव व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है।

इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समुदायों के बच्चों को निजी स्कूलों में 25% आरक्षण प्रदान करने के प्रावधान का पूर्ण रूप से पालन न होना भी एक गंभीर बाधा है; कई निजी स्कूल या तो इस नियम का विरोध करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों को प्रवेश से हतोत्साहित करते हैं। सामाजिक भेदभाव एवं मानसिकता भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है—बहुसंख्यक समाज अब भी जाति, वर्ग, भाषा, संस्कृति और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के प्रति उचित संवेदनशीलता विकसित नहीं कर पाया है, जिसके कारण बच्चे स्कूल के भीतर असुरक्षित या अलग-थलग महसूस करते हैं।

शिक्षकों के प्रशिक्षण की कमी भी समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है; अधिकांश शिक्षक विविध क्षमताओं और पृष्ठभूमियों वाले बच्चों के साथ काम करने के लिए आवश्यक कौशल और समझ से लैस नहीं होते, जिसके कारण कक्षा में सीखने का वातावरण समावेशी नहीं बन पाता। RTE के तहत स्कूलों में नामांकन बढ़ा है, परंतु लगातार उपस्थिति, सीखने के परिणाम और व्यक्तिगत सहयोग सुनिश्चित करना अभी भी चुनौतीपूर्ण है, खासकर उन बच्चों के लिए जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं या जिनका परिवार सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों से जूझता है। इसके अलावा, संसाधनों का असमान वितरण—ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, सरकारी और निजी स्कूलों के बीच—समावेशी शिक्षा के वास्तविक क्रियान्वयन को बाधित करता है।

निगरानी और जवाबदेही की प्रक्रिया भी कमजोर है, जिसके कारण नियमों के उल्लंघन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। कुल मिलाकर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम समावेशी शिक्षा की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान करता है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को व्यापक प्रशिक्षण मिले, स्कूलों की संरचना और संसाधनों में सुधार हो, सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए सामुदायिक जागरूकता बढ़ाई जाए और सरकारी तंत्र अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बने। तभी यह अधिनियम अपनी वास्तविक मंशा—हर बच्चे को समान, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना—पूर्ण रूप से साकार कर सकेगा। हालाँकि आरटीई अधिनियम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 3, December 2025 Impact Factor: 7.67

1. अपर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक
2. भवनों और कक्षाओं की सीमित सुलभता
3. दिव्यांग बच्चों के लिए संसाधनों की कमी
4. सामाजिक भेदभाव एवं संवेदनशीलता की कमी
5. निजी स्कूलों में 25% आरक्षण के पालन की समस्या

उपाय एवं सुझाव

1. शिक्षक प्रशिक्षण में समावेशी शिक्षण तकनीकों पर अधिक फोकस।
2. दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक तकनीक और संसाधनों को बढ़ाना।
3. समुदाय, अभिभावकों और स्थानीय संस्थाओं की भूमिका बढ़ाना।
4. स्कूलों में सुलभ वातावरण (रैंप, शौचालय, संकेत) सुनिश्चित करना।
5. सामाजिक न्याय और समावेशन पर जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

निष्कर्ष

समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) की भूमिका अत्यंत व्यापक, दूरगामी और परिवर्तनकारी सिद्ध होती है। यह अधिनियम केवल शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि समाज के किसी भी बच्चे को उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा, लिंग, धर्म, सांस्कृतिक विविधता या दिव्यांगता के कारण शिक्षा से वंचित न किया जाए। भारत के संदर्भ में जहाँ सामाजिक असमानताएँ गहरी और ऐतिहासिक रूप से जड़ें जमाए हुए हैं, आरटीई अधिनियम समावेशी शिक्षा की दिशा में उस बाधा को तोड़ने वाला पहला व्यापक और प्रभावी कानूनी उपकरण है। अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर तथा वंचित समूहों के लिए 25% सीटों का प्रावधान न केवल सामाजिक मिश्रण को बढ़ावा देता है, बल्कि यह अवसरों की समानता की वास्तविक नींव भी रखता है।

इसके माध्यम से हाशिये पर मौजूद समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निजी शिक्षा तक पहुँच का व्यावहारिक अवसर मिलता है, जो पहले केवल विशेष वर्गों तक सीमित था। समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रावधान विविधता को स्वीकारने और पारस्परिक सम्मान को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 3, December 2025 Impact Factor: 7.67

प्रकार दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए प्रावधान—जैसे सुलभ भवन, सहायक उपकरण, विशेष शिक्षक, व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएँ—यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षा प्रणाली स्वयं बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित हो।

इसके अतिरिक्त आरटीई ने शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को अधिक बाल-केन्द्रित, संवेदनशील और तनावमुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शारीरिक दंड पर प्रतिबंध, बाल-मैत्रीपूर्ण शिक्षण की अनिवार्यता और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जैसे उपाय यह दर्शाते हैं कि अधिनियम केवल स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं करता, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और समान अधिगम अनुभव को भी प्राथमिकता देता है। यह समावेशी शिक्षा के उस मूल सिद्धांत को पुष्ट करता है जिसके अनुसार हर बच्चा अलग तरह से सीखता है और शिक्षा प्रणाली को इन विविधताओं को स्वीकारते हुए आगे बढ़ना चाहिए।

शिक्षक-प्रशिक्षण को मजबूत करना और अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाना यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों वाले बच्चों की आवश्यकताओं को समझने और संभालने के लिए सक्षम हों। यद्यपि अधिनियम ने एक मजबूत ढाँचा तैयार किया है, फिर भी इसके पूर्ण क्रियान्वयन में चुनौतियाँ मौजूद हैं—जैसे संसाधनों की कमी, भवनों की असुलभता, शिक्षकों की कमी, सामाजिक पूर्वाग्रह, तथा निजी स्कूलों में 25% आरक्षण के अनुपालन से जुड़ी समस्याएँ। इसके बावजूद RTE अधिनियम ने भारत में समावेशी शिक्षा के विचार को नीति और व्यवहार दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण रूप से ऊँचा उठाया है।

समग्र रूप से देखा जाए तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम न केवल एक कानूनी आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, समानता और न्याय की ओर बढ़ने वाला राष्ट्रीय संकल्प भी है। यह समावेशी शिक्षा की अवधारणा को व्यवहार में उतारते हुए यह स्पष्ट संदेश देता है कि शिक्षा किसी विशेष वर्ग का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिनियम शिक्षा प्रणाली को अधिक मानवीय, न्यायसंगत और संवेदनशील बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और आवश्यक कदम है, और यदि इसके सभी प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह भारत को वास्तविक अर्थों में समान, समावेशी और ज्ञान-आधारित समाज बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

संदर्भ सूची

1. कुमार, ए. (2017)। *भारतीय शिक्षा में समान अवसर का विश्लेषण*। दिल्ली: शिक्षा प्रकाशन।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 3, December 2025 Impact Factor: 7.67

2. दिवाकर, आर. (2016)। *बाल-मैत्रीपूर्ण विद्यालय की अवधारणा और व्यवहार।* पटना: ज्ञानदीप पब्लिकेशन।
3. भारत सरकार। (2009)। *शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009।* नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
4. मिश्रा, एस. (2021)। *समावेशी शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण।* वाराणसी: राष्ट्रीय शैक्षिक प्रकाशन।
5. राव, वी. (2017)। *सतत एवं व्यापक मूल्यांकन: एक अध्ययन।* हैदराबाद: शैक्षिक शोध परिषद।
6. वर्मा, एल. (2020)। *समावेशी विद्यालय और विविधता।* लखनऊ: भारतीय शिक्षण संस्थान।
7. शर्मा, पी. (2018)। *समावेशी शिक्षा: सिद्धांत और व्यवहार।* जयपुर: शिक्षा संगम।
8. शेखर, डी. (2020)। *RTE के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ और समाधान।* कोलकाता: आधुनिक शिक्षा प्रकाशन।
9. सिंह, आर. (2019)। *दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और नीति विश्लेषण।* भोपाल: समाज शिक्षा केंद्र।